


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### आदेश

लक्ष्मीकान्ता दवे व्या. हिन्दी, बा0उमावि0 पुंजला, जोधपुर द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 अनुसार अपना नाम लक्ष्मीकान्ता दवे के स्थान पर श्रीमती लक्ष्मीकान्ता शर्मा करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः लक्ष्मीकान्ता दवे से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम लक्ष्मीकान्ता दवे के स्थान पर श्रीमती लक्ष्मीकान्ता शर्मा किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में लक्ष्मीकान्ता दवे से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " श्रीमती लक्ष्मीकान्ता शर्मा " से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।

  
(बी.एल. स्वर्णकार)


आईएएस  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

दिनांक- 27/3/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक, जोधपुर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जोधपुर
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्रीमती सरिता, बा0राउमावि पुंजला, जोधपुर
- 7 रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षाराजस्थान, बीकानेर ::

कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याताओं (स्कूल शिक्षा) के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम परिवर्तित किया है।

अतः निम्नानुसार व्याख्याताओं को उनके नाम के सामने अंकित परिवर्तित नाम राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में दर्ज करने की विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	नाम व्याख्याता	विषय	वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1	श्रीमती विमलेश कौशल राबाउमावि रामपुरा-कोटा	वाणिज्य	विमलेश कौशल	विमलेश शर्मा



(बी.एस.स्वर्णकार)  
आईएएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक: 27/8/17

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/नाम परिवर्तन/12

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, राजस्थानसरकार, जयपुर
2. संबंधित उप निदेशकमाध्यमिक शिक्षा
3. संबंधित जिलाशिक्षाअधिकारी, माध्यमिक शिक्षा,
4. संबंधित प्रधानाचार्य
5. संबंधित व्याख्याता
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्तनिदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर